उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14—अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522—2287868, फैक्स : 0522—2287834
ई—मेल : cecomuppcl@gmail.com
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः 216 /मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0—1/प्री—पेड मीटरिंग — दिनांक/जुलाई, 10 2017

विषयः— सरकारी कार्यालयों, कालोनियों एवं मोवाईल टावरों के विद्युत संयोजनों पर प्री—पेड मीटरों के स्थापना के सम्बन्ध में।

ई—मेल/स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पार्श्वांकित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों, सरकारी कालोनियों एवं मोबाईल टावरों पर प्री—पेड मीटर स्थापित करने का अनुरोध किया गया था।

1. 501/मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0—1 दिनांक 05.10.2015
2. 186/मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0—1 दिनांक 25.07.2016
3. 407/मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0—1 दिनांक 27.10.2016

इस कार्यालय के पत्रांक क्रमशः 186/मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0—1 दिनांक 25.07.2016 एवं 407/मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0—1 दिनांक 27.10.2016 के साथ संलग्न उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के आदेश क्रमशः दिनांक 15.07.2016 एवं 20.10.2016 का भी संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें अनुज्ञप्तिधारी को सरकारी कार्यालयों/कालोनियों एवं मोबाईल टावरों पर प्री—पेड मीटर स्थापित किये जाने का आदेश है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि किसी भी डिस्काम से मा0 आयोग के उक्त आदेशों का अनुपालन आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जिस पर मा0 आयोग द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि मा0 आयोग के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में सूचना संलग्न प्रारूप में अतिशीघ्र इस कार्यालय को उपलबध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 पाठक)
मुख्य अभियन्ता (स्तर—1)
वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा

पत्रांकः—216 /मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0—1/प्री—पेड मीटरिंग/तद्दिनांक : 10-7-17

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को सादर संज्ञानार्थ।
2. (ई—मेल) निदेशक (वाणिज्य), पश्चिमांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/वाराणसी/ लखनऊ/आगरा एवं केस्को—कानपुर।
3. (ई—मेल) निदेशक (तकनीकी), पश्चिमांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/वाराणसी/ लखनऊ/आगरा एवं केस्को—कानपुर।

संलग्नक : यथोपरि।

(ए0के0 पाठक)
मुख्य अभियन्ता (स्तर—1)
वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14—अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522—2287868, फैक्स : 0522—2287834
ई—मेल : cecomuppcl@gmail.com
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांक : 288/मु0अ0 (वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0—1 दिनांकः सितम्बर, 17 2019

विषय :— गाजियाबाद तथा लखनऊ जनपदों में सरकारी कार्यालयों पर प्रीपेड मीटर के स्थापना का कार्य 31 दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण करने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल/मध्यांचल
विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ/लखनऊ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 को सम्बोधित अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 के पत्र सं0 395/पीएससीएच/19 दिनांक 31.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के माध्यम से अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि गाजियाबाद तथा लखनऊ जनपदों में सरकारी कार्यालयों पर प्रीपेड मीटर के स्थापना का कार्य 31 दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण कर लिया जाय।

अतः उक्त निर्देश के कम में गाजियाबाद तथा लखनऊ जनपदों में सरकारी कार्यालयों पर प्रीपेड मीटर के स्थापना का कार्य पूर्ण करने एवं कृत कार्यवाही को संज्ञानित करने हेतु आवश्यक निर्देश करने की कृपा करें।

भवदीय,

17/9/19
(श्रवण पर्ती)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

8

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
# शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग,
# लखनऊ।

संख्या—395/पीएससीएच/19 दिनॉकः 31 अगस्त, 2019

वाणिज्य—प्रथम
डायरी नं० 861 एच०सी०
दिनाँक 05/09/19

**प्रबन्ध निदेशक**

दिनॉक 28 अगस्त, 2019 को उदय सलाहकार द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री जी के समक्ष प्रदेश के सभी विद्युत वितरण निगमों को वर्ष 2021—22 के अन्त तक लाभकारी स्थिति में लाने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी जिस पर चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः—

(1) उदय सलाहकार द्वारा प्रत्येक माह विद्युत वितरण निगमों के मुख्यालय में जाकर प्रगति की समीक्षा की जायेगी और उसके आधार पर अपनी आख्या से प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा माननीय ऊर्जा मंत्री जी को तद्नुसार स्थिति से अवगत कराया जायेगा।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित FPPCA (Fuel & Power Purchase Cost Adjustment) के अनुसार प्रत्येक त्रैमास में कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जाय।

(3) वर्तमान में वितरण परिवर्तक डेमेज रेट को 18 प्रतिशत से कम कर अगले दो साल में 8 प्रतिशत तक लाये जाने के लिए युद्धस्तर पर कार्ययोजना बनाकर उसका अनुश्रवण किया जाय। इस हेतु विद्युत वितरण खण्डों में विभिन्न स्तरों पर तथा वितरण परिवर्तक मरम्मत कार्यशालाओं में उत्तरदायित्व निर्धारित कर एक समेकित एम0आई0एस0 के आधार पर कार्यवाही की जाय। वितरण परिवर्तकों पर स्थापित मीटरों से एम0आर0आई0 अथवा मॉडम के माध्यम से डेटा प्राप्त कर परिवर्तकों के रख—रखाव के लिए आवश्यक कार्यवाही करायी जाय।

Secy
CE (Com-2)
Comm-1

(4) अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के मीटरिंग का कार्य 31 दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण कर लिया जाय।

निदेशक (वाणिज्य)
उ0प्र0पा0का0लि0

(5) विशेषकर शहरी क्षेत्रों में (ए0पी0डी0आर0पी0 तथा आई0पी0डी0एस0) उपखण्ड अधिकारीवार प्रत्येक माह सघन समीक्षा की जाय जिसमें मानक के अनुसार बिलिंग इफीशियेन्सी, कलेक्शन इफीशियेन्सी तथा ए0बी0आर0 के अनुसार लक्ष्य तय कर उसके प्रगति की समीक्षा की जाय। अपेक्षित प्रगति न आने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

(6) प्रदेश में विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए दलों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि की जाय जिसके लिए नये स्वीकृत पदों में से 300 अवर अभियन्ताओं के पद चिन्हित कर लिये जायें। ऐसे गठित प्रत्येक दल के कार्यों की पूर्व से निर्धारित बेंचमार्क के सापेक्ष समीक्षा की जाय।

4950/DC/PCL/2019
03/09/2019

SER-II/SEC-1

EE-C-1

नं० 4604

9

(7) बड़ी विद्युत चोरी के मामलों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के भूमिका की जॉच कर उत्तरदायित्व निर्धारित की जाय।

(8) अधिक हानि वाले अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ पावरलूम बुनकरों के क्षेत्रों में भी विद्युत चोरी तथा लोड इत्यादि की सघन जॉच कराई जाय।

(9) गाजियाबाद तथा लखनऊ जनपदों में सरकारी ~~कार्य स्थलों~~ कार्यालयों पर प्रीपेड मीटर के स्थापना का कार्य 31 दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण कर लिया जाय।

(10) स्थानान्तरणों को मेरिट के आधार पर विकल्प लेकर पारदर्शी तरीके से करने के लिए KPIs को चिन्हित कर 15 सितम्बर, 2019 तक निर्देश निर्गत करा दिये जायें।

(11) फील्ड अधिकारियों के ई0टी0आई0 में इनसर्विस प्रशिक्षण के साथ–साथ कामर्शियल तथा आई0टी0 से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जनपदवार कार्यशालाओं का कार्यक्रम बनाकर एक माह में संपन्न करा ली जाय।

(12) रिन्यूअबल इनर्जी से संबंधित योजनाओं को इस प्रकार लागू किया जाय जिससे विद्युत वितरण निगमों के ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन हानियों में कमी लायी जा सके।

(13) प्रारम्भ में प्रत्येक विद्युत वितरण निगम में कम से कम एक डेडीकेटेड विशेष न्यायालय की स्थापना करायी जाय जो विद्युत चोरी से संबंधित मुकदमों का त्वरित निस्तारण करे।

(14) ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता टर्नअप को इस वर्ष के अन्त तक प्रत्येक विद्युत वितरण खण्ड में कम से कम 80 प्रतिशत तक प्राप्त किया जाय।

**(आलोक कुमार)**
**अध्यक्ष**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निदेशक, (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

(2) निदेशक, (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।।

(3) निदेशक (का0प्र0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

आलोक

**(आलोक कुमार)**
**अध्यक्ष**